भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3318

13.03.2020 को उत्तर के लिए

वन नियमों में छूट

3318. श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद राव :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुलीकट झील विशेषकर आंध्र प्रदेश के एसपीएसआर नेल्लोर जिले के वकाडू में सुलुरीपेटा और टाडा मंडल में सड़क निर्माण हेतु वन्यजीव अभयारण्य नियमों में छूट प्रदान करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का तिरुमाला के पवित्र मंदिर पहुंचने के लिए तिरुपति शहर क्षेत्र में आऊटर रिंग रोड के निर्माण संबंधी वन नियमों में छूट प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): पुलीकट पक्षी अभयारण्य में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत शर्तों में विधिवत् छूट देकर सड़कों के निर्माण के लिए ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग): तिरूपति शहर में तिरूमाला मंदिर पहुंचने हेतु वन नियमों में छूट देकर आउटर रिंग रोड के निर्माण के लिए ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ): प्रश्न ही नहीं उठता।

*****